

Form No-III



फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

प्रवीन रानी बनाम राजकुमार आदि

मुकदमा अन्तर्गत 88-53-92ए-209 आर टी एक्ट

जी.सी.एम.एस आईडी 2025/313 नम्बर 133 रान 2025

क्र.सं.	हुक्म या कार्यवाही गय इण्डियन जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
.2025	<p>वादीया प्रवीन रानी पत्नि श्री राजकुमार जाति कम्बोज निवारी 11 बी जी डी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर की ओर से श्री राकेश कुंमार अधिवक्ता ने वाद-पत्र प्रस्तुत किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.08.2025 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर </p> <p><i>Handwritten notes in Hindi:</i></p> <p>18/08/25 आज वादी अधिवक्ता के द्वारा हुक्म पत्र एवं हुक्म पत्रों पर प्रोसेस करके हेतु निवेदन किया गया पत्रावली प्रेषित की गई। अधिव. वादी के कथन कि जज के वादी एवं प्रतिवादीगण के कथन लोक अदालत की भावना से वादीगण ही हुक्म हैं। अतः वादी एवं अधिव. पत्रावली नही लाना पड़ेगी है वादी एवं जज एवं प्रोसेस करके की रकम का प्रदान किया जावे।</p> <p>वादी अधिवक्ता के कथन पत्र निवेदन करने हुए वादी एवं अधिव. प्रोसेस करके की रकम का प्रदान की जावे है पत्रावली निवेदन के मध्य साखिम के पत्रावली निवेदन सुकाम गण</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर </p>	<p>1008 22/7/25</p> <p><i>Not press</i></p> <p>18-7-25</p> 